

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**MISC. APPLICATION IN DISPOSED OF CASES NO. 77/2025  
IN  
ORIGINAL APPLICATION NO. 294/2023**

**IN THE MATTER OF:**

**PRASOON PANT & ANR.**

**.....APPLICANT(s)**

**VERSUS**

**UPPCB & ORS.**

**.....RESPONDENT(s)**

**INDEX**

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 05.08.2025	

	PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
2.	A COPY OF LETTER DATED 28.08.2025 IS ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE-1.	
3.	COPY OF LETTER DATED 07.10.2024 HAS BEEN ANNEXED HEREWITH AS <b>ANNEXURE-2.</b>	
4.	COPIES OF CTO DATED 18.02.2025 AND 30.05.2025 ARE ANNEXED HEREWITH COLLECTIVELY AS <b>ANNEXURE 3.</b>	
5.	COPY OF INSPECTION REPORT DATED 04.09.2025 HAVE BEEN ANNEXED HEREWITH AS <b>ANNEXURE 4.</b>	
6.	COPIES OF THE 6 REVOCATION LETTERS ARE ANNEXED HEREWITH AS <b>ANNEXURE 5.</b>	
7.	THE INSPECTION REPORTS OF 17 UNITS ARE ANNEXED HEREWITH COLLECTIVELY AS <b>ANNEXURE-6.</b>	
8.	A COPY OF LETTER DATED 04.09.2025 HAS BEEN ANNEXED HEREWITH AS <b>ANNEXURE 7.</b>	

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bhanwar Pal Singh Jadon', with a long horizontal stroke extending to the right.

**THROUGH COUNSEL**

BHANWAR PAL SINGH JADON  
COUNSEL FOR THE UPPCB  
[EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com](mailto:bhanwar09jadon@gmail.com)  
PHONE NO.-6375115224

Date: 16.09.25

Place: Noida

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**



**MISC. APPLICATION IN DISPOSED OF CASES NO. 77/2025  
IN  
ORIGINAL APPLICATION NO. 294/2023**

**IN THE MATTER OF:**


**PRASOON PANT & ANR.**

**.....APPLICANT(s)**

**VERSUS**

**UPPCB & ORS.**

**.....RESPONDENT(s)**



**15 SEP 2025**

**COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF UTTAR PRADESH  
POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE OF THE  
ORDER DATED 05.08.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL  
GREEN TRIBUNAL.**

I, Ankit Singh aged about 38 years, S/o Shri Ajit Singh posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, presently at Ghaziabad, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present report.
2. That I state that the contents of this report have been drafted by my counsel on my instructions, and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

**BACKGROUND OF THE MATTER**

3. That the Applicants have filed the original application against hospitality establishments such as restaurants, hotels, and malls operating in District Ghaziabad without obtaining requisite consent under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.



15 SEP 2025

4. That in compliance with the directions of this Hon'ble Tribunal and in adherence to the Central Pollution Control Board (CPCB) guidelines, UPPCB conducted a comprehensive survey of eateries/restaurants with a minimum seating capacity of 36 persons, along with hotels, banquets, and malls operating within District Ghaziabad. Pursuant to the survey, a compliance report showing the following status of identified establishments was filed before this Hon'ble Tribunal on 21.04.2025:

Sr. No.	Particulars	No. of Units
I.	Number of Units having valid Consent to Operate (CTO) under the Water Act, 1974 and Air Act, 1981	83
II.	Number of Units lacking CTO but covered under Arti Vs. CGWA & Ors. (O.A. No. 438 of 2018) and connected proceedings	52
III.	Permanently closed units	03
IV.	Defaulter units not having CTO under the Water Act, 1974 and the Air Act, 1981	27
V.	Total number of units identified	165



15 SEP 2025

*(Kindly, refer to para 6 of the Compliance Report dated 21.04.2025 at judicial page no. 1423, 1424. The same is not attached again herein for the sake of brevity.)*

5. That it is respectfully submitted that in Para 7 of the compliance report filed on 21.04.2025 before this Hon'ble Tribunal, it was brought on record that action had been initiated by the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) against twenty-seven (27) defaulter units (excluding those covered under O.A. No. 438 of 2018, In Re: Arti vs. CGWA & Ors.) which had failed to obtain the requisite Consent to Operate under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

That out of the aforesaid twenty-seven (27) units:

- i. Twenty-three (23) units were issued closure orders under Section 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, following show cause notices, with enforcement through electricity disconnection and sealing of DG sets by the Joint Committee constituted by the District Magistrate, Ghaziabad.
- ii. M/s Party Shine was found vacant during inspection on 22.01.2025, despite issuance of a show cause notice dated 16.08.2024.



15 SEP 2025

iii. M/s Hotel SOHO (formerly M/s Vizima Hospitality LLP) and M/s Swaad-E-Punjab (formerly Happy Punjab). Fresh show cause notices were issued as follows:

- M/s Hotel SOHO, initially served with a show cause notice dated 19.08.2024 in its previous name, was issued a fresh show cause notice dated 20.01.2025 in its new name.
- The closure order dated 13.08.2024 against M/s Swaad-E-Punjab was set aside by the Hon'ble National Green Tribunal on 10.12.2024 in Appeal No. 44/2024, granting liberty to issue a fresh notice in its changed name, pursuant to which UPPCB issued a fresh show cause notice dated 17.01.2025.

iv. The closure order dated 13.08.2024 against M/s Pind Baluchi was revoked pursuant to the Hon'ble High Court of Allahabad's order dated 03.09.2024 in Writ-C No. 7543/2024, and a revocation letter dated 17.01.2025 was issued by UPPCB.

*(Kindly, refer to para 7 of the Compliance Report dated 21.04.2025 at judicial page no. 1424-1426. The same is not attached again herein for the sake of brevity.)*



15 SEP 2025

**ORDER DATED 05.08.2025**

6. That the matter was last listed for hearing before this Hon'ble Tribunal on 05.08.2025. The relevant part of the order is reproduced herein:

*"2. No updated response has been filed by respondent no. 1- UPPCB.*

*3. Response dated 05.08.2025 to report filed by respondent no. 4 on 21.04.2025 has been filed by the applicant.*

*4. Learned counsel for respondents no. 1 and 3 seeks time to file further compliance report.*

*5. Further compliance report may be filed by respondents no. 1 and 3 within 1 month.*

*6. Respondent no.3- D.M, Ghaziabad is directed to ensure that closure orders issued by UPPCB are strictly implemented and in his response, he shall specifically give details of action taken with respect to the same.*

*7. List on 17.09.2025 for further orders.*

*8. In view of the facts and circumstance of the case, we also consider personal appearance of the Regional Officer, Ghaziabad physically on the next date of hearing to be essential for producing the relevant*



15 SEP 2025

*record and assisting this Tribunal in just and proper adjudication of the questions involved in the case. Accordingly, he is directed to remain present before this Tribunal on that date with the relevant record.*

*9. A copy of this order may be sent to the Member Secretary, UPPCB and the Regional Officer, Ghaziabad by email for requisite compliance.”*


**COMPLIANCE REPORT PURSUANT TO ORDER DATED 05.08.2025**

7. That, the District Magistrate, Ghaziabad, vide letter dated 28.08.2025, constituted a Joint Committee comprising the Sub-Divisional Magistrate, ACP Ghaziabad, Regional Officer, UPPCB; and Executive Engineer, UPPCL; Ghaziabad, to oversee the implementation of closure orders.

A copy of letter dated 28.08.2025 is annexed herewith as **Annexure-1**.

8. That, at the outset, the updated status of identified establishments is tabulated hereunder:

Sr. No.	Particulars	No. of Units
I.	Number of Units having valid CTO under the Water Act, 1974 and the Air Act, 1981. (02 units have obtained fresh CTO)	84



15 SEP 2025

Sr. No.	Particulars	No. of Units
II.	Number of units lacking CTO but covered under Arti Vs. CGWA &Ors. (O.A. No. 438 of 2018) and connected proceedings	52
III.	Vacant/Permanently closed units	06
IV.	Number of Units whose closure orders/show cause notices have been revoked	06
V.	Defaulter units not having CTO under the Water Act, 1974 and the Air Act, 1981	17
V.	Total number of units identified	165

9. That as per the present status, 02 units have obtained fresh CTO, 06 closure orders/Show Cause Notice have been revoked, 06 units (total) are found vacant/permanently closed, and the remaining 17 closure orders remain effective. The details of these are set out as herein-

**I. Units having valid CTO**

That, as per the current status, an additional of two units have obtained fresh CTO under the Water Act, 1974 and the Air Act, 1981. The details are set out hereinunder:



15 SEP 2023

- i. M/s Pind Baluchi- The unit has obtained a fresh CTO dated 18.02.2025, valid up to 31.03.2029. Stay on the imposition of EC vide order dated 03.09.2024 is still the same.
- ii. M/s Garam Dharam-The unit has obtained fresh CTO dated 30.05.2025, valid upto 31.07.2026 pursuant to recovery of EC amount of Rs. 2,81,750/-.
- iii. That it is humbly admitted that M/s Sohan Foods was inadvertently included in the list of units having valid CTO in the previous affidavit, whereas the unit had applied for CTO on 20.09.2024, pursuant to which UPPCB conducted inspection on 07.10.2024 and the application was rejected/refused vide letter dated 07.10.2024. That M/s Sohan Foods has now been placed in the list of defaulters along with sixteen (16) other units, and the closure order against the said unit has been issued and enforced accordingly (kindly refer to para 9(V) herein below).

Copy of letter dated 07.10.2024 has been annexed herewith as **Annexure-2** and the copies of CTO dated 18.02.2025 and 30.05.2025 are annexed herewith collectively as **Annexure3**.



15 SEP 2025

**II. COVERED UNDER ARTI VS. CGWA & ORS. (O.A. NO. 438 OF 2018) AND CONNECTED PROCEEDINGS**

That the status of the aforesaid 52 units remains the same as was stated in the previous compliance report dated 21.04.2025.

**III. VACANT/PERMANENTLY CLOSED**

That, upon inspection conducted by the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) on 04.09.2025, in addition to the three vacant/permanently closed units as previously mentioned in the compliance report dated 21.04.2025 (kindly refer to para 15 of the status report dated 30.09.2023 at the judicial page number 1446), the following three units have also been found to be vacant/permanently closed:

- i. M/s Party Shine
- ii. M/s Swaad-E-Punjab (previously Happy Punjab)
- iii. M/s Clarks Inn Apple Tree, C-2, Raj Nagar District Centre, Ghaziabad-201001.

Copies of inspection report dated 04.09.2025 have been annexed herewith as **Annexure 4**.



15 SEP 2025

## IV. Revocation of Closure Orders/Show Cause Notices:

Sr. No.	Name & Address of Unit	Earlier Action Taken	Remarks
1	M/s Gokul Dham, Khasra No. 162/3, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad-201004	Closure order dated 08.01.2025 issued under Section 33A along with EC Rs. 2,18,750/-	Closure order revoked vide letter dated 22.04.2025; EC recovered.
2	M/s Palki Farms, Khasra No. 317, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad-201004	Closure order dated 08.01.2025 issued under Section 33A along with EC Rs. 2,18,750/-	Closure order revoked vide letter dated 14.08.2025; EC recovered.
3	M/s Signature Farms, Khasra No. 122/293, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad-201004	Closure order dated 16.01.2025 issued under Section 33A along with EC Rs. 2,42,172/-	Closure order revoked vide letter dated 03.04.2025; EC recovered.



15 SEP 2025

Sr. No.	Name & Address of Unit	Earlier Action Taken	Remarks
4	M/s Spice Garden Restaurant & Banquet Hall, V. S. Food, opposite Police Station, Upper Bazar, Near Railway Station, Modinagar, Ghaziabad	UPPCB issued a closure order on 08.01.2025 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 2,03,125/-	Closure order revoked vide letter dated 28-04-2025; EC recovered.
5	M/s Lotus Farms, Sikandarpur, Bhopura, Near Hindon Domestic Airport, Ghaziabad-201004.	UPPCB issued a closure order on 08.01.2025 under section 33A the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act. 1974 along with EC Rs. 2,18,750/-	Closure order revoked vide letter dated 13.06.2025 with EC recovered.



15 SEP 2025

Sr. No.	Name & Address of Unit	Earlier Action Taken	Remarks
6	M/s Aaditya Mall Traders Association, Aaditya Mall Indiarapuram, Ghaziabad.	UPPCB issued a show cause notice dated 27.10.2023 under Section 33A of the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974	Closure order revoked vide letter dated 10.07.2025 at the condition of payment of EC amounting Rs. 2,83,31,250/-.

Copies of the 6 revocation letters are annexed herewith as **Annexure 5**.

#### V. Remaining 17 Defaulter Units not having CTO

That, the joint committee constituted by D.M., Ghaziabad comprising the Sub-Divisional Magistrate, ACP Ghaziabad, Regional Officer, UPPCB; and Executive Engineer, UPPCL; Ghaziabad, inspected the 17 defaulter units on 12.09.2025, 13.09.2025 and 14.09.2025; and the representatives of UPPCL ensured compliance of the closure orders through electricity disconnection.



15 SEP 2025


The inspection reports of 17 units are annexed herewith collectively as **Annexure-6.**

10. That, all 84 units to which Consent to Operate has been issued by UPPCB have been reminded to ensure strict compliance with CTO conditions vide letter dated 04.09.2025.

A copy of letter dated 04.09.2025 has been annexed herewith as **Annexure 7.**

11. Hence, this compliance report is respectfully submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

12. That everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.




**DEPONENT**



**15 SEP 2025**

**VERIFICATION**

Verified at Ghaziabad on this 16 day of September 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 12 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

**DEPONENT****ATTESTED**

(Sandeep Sharma)  
Reg. No. 1186/98  
NOTARY PUBLIC  
Ghaziabad (U.P.)

**15 SEP 2025**

कार्यालय

जिलाधिकारी,

गाजियाबाद।

पत्रांक 946.../एनजीटी/ओए-294/2023/2025

दिनांक 28/8/2025.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Misc Application in Disposed of Cases No. 77/2025 In ORIGINAL APPLICATION NO.-294/2023 Prasoon panth & Anr. Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors. में पारित आदेश दिनांक 05.08.2025 के मुख्य अंश निम्नवत् है-

''''''''''6. Respondent no.3- D.M, Ghaziabad is directed to ensure that closure orders issued by UPPCB are strictly implemented and in his response he shall specifically give details of action taken with respect to the same.,''''''''''

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के क्रम में उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये हैं (सूची संलग्न), जिसका अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है:-

1. उपजिलाधिकारी, सदर/लोनी/मोदीनगर, गाजियाबाद।
2. सहायक पुलिस आयुक्त, सम्बन्धित पुलिस विभाग, गाजियाबाद (सम्बन्धित क्षेत्र)।
3. सहायक पर्यावरण अभियंता, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गाजियाबाद (सम्बन्धित क्षेत्र)।
4. अधिशासी अभियंता, सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड, गाजियाबाद (सम्बन्धित क्षेत्र)।

उपरोक्त समिति को निर्देशित किया जाता है कि इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आख्या क्षेत्रीय कार्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गाजियाबाद को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित प्रकरण में कृत कार्यवाही की आख्या दिनांक 17.09.2025 से पूर्व दाखिल की जानी है।

(रविन्द्र कुमार मांदड)  
जिलाधिकारी  
गाजियाबाद

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. पुलिस आयुक्त पुलिस विभाग, गाजियाबाद।
2. उपजिलाधिकारी, सदर/लोनी/मोदीनगर, गाजियाबाद।
3. मुख्य अभियंता पश्चिमांचल विद्युत निगम लि0, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उपरोक्त इकाईयों की सूची प्राप्त करते हुए बन्दी आदेश का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें, एवं उल्लंघन पाये जाने पर उनका तत्काल विद्युत विच्छेदन कराना सुनिश्चित करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ कि इकाईयों की सूचना संकलित कर ससमय मा0 एन0जी0टी0 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी  
गाजियाबाद।



## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building.No. TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010  
Telephone: +91-522-2720831, 2720681, 2720691 (Fax): +91-522-2720764

**Category : ORANGE**

**Application Id : 24763613**

**Ref No. -**

**Dated : 07/10/2024**

**202520/UPPCB/Ghaziabad(UPPCBRO)/CTO/both/GHAZIABAD/2024**

**To ,**

M/S RAAVI SHARMA  
SOHAN FOODS  
C-63,RDC RAJNAGAR GHAZIABAD,GHAZIABAD,201001  
GHAZIABAD

**Sub :** Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules , 2016.

Kindly refer to your Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) application dated 20/09/2024 and received on 20/09/2024 under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016. Your application and the information submitted by you have been examined along with the facts found during inspection made by officers of UPPCB on 07/10/2024 . Your consent application is hereby refused due to following reason.

**Reasons :-**

Unit has not submitted reply of clarification raised online on dated 01.10.2024 requiring following information:-

1. Unit has not submitted reply of show cause issued by Board vide letter no. H15833/ C-1/SA-1610/SCN/2024, dated 16.08.2024.
2. Copy of approved map from competent authority (GDA) and NOC of Fire department in regard to the guideline issued by CPCB for hotels/banquet halls.
3. Quantity and source of water being used in unit (enclose copy of permission obtained from competent authority or NOC from UPGWD in case of use of ground water).
4. Quantity (with basis of calculation) of trade effluent/ wastewater generation and mode of its treatment (enclose feasibility report of effluent treatment plant installed for same).
5. No. of DG sets installed along with stack height and copy of latest stack monitoring report of DG sets from NABL approved laboratory.

6. Quantity of municipal solid waste generated from project and mode of its treatment and disposal. 7. Compliance status of direction no. 76 issued by CAQM, Delhi regarding operation of DG sets, if any. 8. balance sheet submitted by unit for verification of submitted fee is not C.A. certified, please provide certified copy of latest balance sheet. 9. Copy of land ownership/ lease deed, FSSAI registration, GST registration, partnership deed, electricity bill etc. 10. Actual date of starting operation for verification of outstanding fee.

"After the rejection of the consent application form of the industries and projects under the Acts, when the application is received again through the online portal Nivesh Mitra, then the consent fee of one year from the consent fee deposited earlier will be forfeited and the consent fee of the remaining years will be adjusted as the consent renewal fee for the next years and only the initial fee for the first year will be deposited for obtaining the consent (water/air)."

The Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules , 2016 is hereby refused. Further, you are hereby informed to comply with the mandatory provisions of Water Act 1974, Air Act 1981 and HWM Rules 2016

**This order is issued with the approval of competent authority.**

**Vikas Mishra**  
Digitally signed  
by Vikas Mishra  
Date:  
2024.10.07  
14:23:52  
+05'30'

( Authorized Signatory )

VIKAS MISHRA  
REGIONAL OFFICER

**Copy To -**

CEO-1, UPPCB, LUCKNOW.

**Vikas Mishra**  
Digitally signed  
by Vikas Mishra  
Date: 2024.10.07  
14:24:00 +05'30'

VIKAS MISHRA  
REGIONAL OFFICER  
( Authorized Signatory )



**मिशन LIFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली**  
(Lifestyle For Environment)  
**जनसहभागिता का सन्देश**



- स्वच्छता – देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- संकल्प लें -एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय |
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन ठोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत उत्पन्न कर सकता है | वेस्ट/अपशिष्ट फेकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेकने से रुकें | इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई – वेस्ट रीसाइकलर को दें | प्राधिकृत ई-रीसाइक्लिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाते समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- घरेलू स्तर पर कम से कम ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका प्रथाक्रीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है | वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रेफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कूटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं | उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें | स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

**हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है |**



### Uttar Pradesh Pollution Control Board

Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.in, Website: www.uppcb.com

**Category : GREEN**

**Application Id : 30236216**

**232208/UPPCB/Ghaziabad(UPPCBRO)/CTO/both/GHAZIABAD/2025**

**Date: 18/02/2025**

To,

M/s

**PIND BALLUCHI UNIT OF EXCELLENCE HOSPITALITY**

**Shop No-303 in Panchsheel Square, At Plot No. C-3, Crossing Republic, Village Dundahera, Ghaziabad,GHAZIABAD,**

**Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981**

CCA is hereby granted to **PIND BALLUCHI UNIT OF EXCELLENCE HOSPITALITY** located at **Shop No-303 in Panchsheel Square, At Plot No. C-3, Crossing Republic, Village Dundahera, Ghaziabad,GHAZIABAD,** subject to the provisions of the **Water Act, Air Act** and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA **PIND BALLUCHI UNIT OF EXCELLENCE HOSPITALITY** granted for the period from **18/02/2025 to 31/03/2029** and valid for manufacturing of following products.

S No	Product	Quantity	Unit
1	Restaurant with seating capacity	65	Numbers/Day

**2. Conditions under Water(Prevention and Control of Pollution) Act -1974 as amended :-**

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

Kind of Effluent	Quantity(KLD)	Treatment facility	Discharge point
<b>Domestic</b>	<b>3.5</b>	<b>Septic Tank</b>	<b>CSTP TO SEWER LINE</b>
<b>Industrial</b>	<b>1.2</b>	<b>Oil &amp; Grease Trap</b>	<b>CSTP TO SEWER LINE</b>

(ii) Trade Effluent Treatment and Disposal :-The applicant shall operate Effluent Treatment Plant consisting of primary/secondary and tertiary treatment as is required with reference to influent quantity and quality.

In case of stoppage of functioning of ETP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(iii) The treated effluent shall be recycled to the maximum extent and should be reused within the premises for gardening etc. Quality of the treated effluent shall meet to the following general and specific standards as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 and applicable to the unit from time-to-time :-

#### **Industrial Effluent Quality Standard**

S.No.	Parameter	Standard
1	COD	250 mg/l
2	BOD	30 mg/l
3	Oil & Grease	10 mg/l

(iv) Sewage Treatment and Disposal :- The applicant shall provide comprehensive STP as is required with reference to influent quantity and quality. In case of stoppage of functioning of STP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(v) The treated sewage shall be reused in gardening as far as possible. The STP shall be maintained continuously so as to achieve the quality of the treated sewage to the following standards.

S No.	Parameters	Standards
-------	------------	-----------

### 3. Conditions under Air (Prevention and Control of Pollution) Act -1981 as amended :-

i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards.

#### Air Pollution Source Details

S No.	Air Pollution Source	Type of fuel	Stack no	Control Device	Height of Stack
-------	----------------------	--------------	----------	----------------	-----------------

#### Emmission Quality Standards

S No.	Stack no	Parameters	Standards
-------	----------	------------	-----------

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately

(ii) The unit will not use any type of restricted fuel.

iii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time
	75	70	65	55	55	45	50	40

### 4. Essential documents to be submitted by the Industry/Unit as Applicable :-

(i) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.

(ii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.

5. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.

6. Unit has to comply with the following specific & general conditions. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 will result in legal action under the aforesaid Acts and Rules.

7. In compliance to the G.O 1011/81-7-2021-09 (Writ)/2016 dated.13.10.2021 issued by Department of Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh. You are directed to develop Miyawaki Forest as per the SOP available at URL:-<http://www.upecp.in/TrainingSession.aspx> for ensuring timely compliance of this direction, you are hereby directed to submit a bank guarantee with minimum validity of one year of the amount equivalent to the sum of initial consent fees (Air and Water) or Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only) whichever is more, within 30 days from the date of issuance of this certificate. In case of non-compliance of this direction, your consent will be revoked by the Board.

8. If the unit uses the ground water and requires the permission from SGWA/CGWA for water abstraction then the industry will have to obtain No objection certificate for abstraction of ground water. It will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the NOC obtained from the competent authority and submit to the Board, within 3 months time failing which CTO will be revoked.

#### **General Conditions:-**

1. The applicant shall get analysed the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated Industrial waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP/ETP inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control systems.
7. The industry shall provide Inspection Book at the time of inspection to the Board's officials.
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point
12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.

#### **Specific Conditions:-**

1. This CTO will be subject to the final decision of Hon'ble High Court of Allahabad in writ C no. 7543 of 2024 in the matter of M/s Pind Balluchi (Unit of Excellence Hospitality) Vs State of U.P. & Ors.
2. In case of usage of ground water, the project Proponent must obtain NOC from CGWA within 01 month from the date of issue of CTE/CTO/CCA, unless falling in exempted category as per MoJS Guidelines dated

24.09.2020 and amendments dated 29.03.2023 thereto.

3. No DG set or other emission source will be installed without valid CTE/ CTO from Board.

4. Unit shall not use any type of banned fuel in compliance of direction issued by CAQM & AA, Delhi.

5. Unit shall comply with the 'General standards for discharge of Environmental Pollutants Part A: Effluents' notified under Schedule VI in Environment (Protection) Rules, 1986.

6. Unit shall ensure that overall waste water generation is less than 10 KLD, failing which this CTO shall be deemed void.

**Vikas**  
**Mishra** Digitally signed  
by Vikas Mishra  
Date: 2025.02.18  
15:58:59 +05'30'

**REGIONAL OFFICER, GHAZIABAD.**

Copy to:

CEO-1, UPPCB, LUCKNOW.

**Vikas**  
**Mishra** Digitally signed  
by Vikas Mishra  
Date:  
2025.02.18  
15:59:11 +05'30'

**REGIONAL OFFICER, GHAZIABAD.**



**मिशन LIFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली**  
(Lifestyle For Environment)  
**जनसहभागिता का सन्देश**



- स्वच्छता – देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- संकल्प लें -एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय |
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन ठोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत उत्पन्न कर सकता है | वेस्ट /अपशिष्ट फेकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेकने से रुकें | इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई – वेस्ट रीसाइकलर को दें | प्राधिकृत ई-रीसाइक्लिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाते समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- घरेलू स्तर पर कम से कम ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका प्रथाक्रीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है | वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रैफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कूटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं | उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें | स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

**हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है |**



## Uttar Pradesh Pollution Control Board

Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.in, Website: www.uppcb.com

**Category : ORANGE**

**Application Id : 31870429**

**240273/UPPCB/Ghaziabad(UPPCBRO)/CTO/both/GHAZIABAD/2025**

**Date: 30/05/2025**

To,

M/s

**PUNJVILLA FOODS LLP (GARAM DHARAM)**

**PLOT NO. 1, NAMBARI NAGAR NIGAM-4, VILL. -ARTHLA, G.T. ROAD, PARGNA - LONI, GHAZIABAD,GHAZIABAD,201010**

**Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981**

CCA is hereby granted to **PUNJVILLA FOODS LLP (GARAM DHARAM)** located at **PLOT NO. 1, NAMBARI NAGAR NIGAM-4, VILL. -ARTHLA, G.T. ROAD, PARGNA - LONI, GHAZIABAD,GHAZIABAD,201010**. subject to the provisions of the **Water Act, Air Act** and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA **PUNJVILLA FOODS LLP (GARAM DHARAM)** **granted for the period from 26/05/2025 to 31/07/2026** and valid for manufacturing of following products.

S No	Product	Quantity	Unit
1	RESTAURANT - 220 SEATING		Metric Tonnes/Day

**2. Conditions under Water(Prevention and Control of Pollution) Act -1974 as amended :-**

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

Kind of Effluent	Quantity(KLD)	Treatment facility	Discharge point
<b>Domestic</b>	<b>3.0 KLD</b>	<b>Septic Tank</b>	<b>Through sewer line connected to STP</b>
<b>Industrial</b>	<b>1.6 KLD</b>	<b>ETP</b>	<b>Drain</b>

(ii) Trade Effluent Treatment and Disposal :-The applicant shall operate Effluent Treatment Plant consisting of primary/secondary and tertiary treatment as is required with reference to influent quantity and quality.

In case of stoppage of functioning of ETP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(iii) The treated effluent shall be recycled to the maximum extent and should be reused within the premises for gardening etc. Quality of the treated effluent shall meet to the following general and specific standards as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 and applicable to the unit from time-to-time :-

### Industrial Effluent Quality Standard

S.No.	Parameter	Standard
1	COD	250 MG/L
2	BOD	30 mg/l
3	OIL & GREASE	10 mg/l
4	TSS	100mg/l

(iv) Sewage Treatment and Disposal :- The applicant shall provide comprehensive STP as is required with reference to influent quantity and quality. In case of stoppage of functioning of STP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(v) The treated sewage shall be reused in gardening as far as possible. The STP shall be maintained continuously so as to achieve the quality of the treated sewage to the following standards.

S No.	Parameters	Standards
-------	------------	-----------

### 3. Conditions under Air (Prevention and Control of Pollution) Act -1981 as amended :-

i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards.

#### Air Pollution Source Details

S No.	Air Pollution Source	Type of fuel	Stack no	Control Device	Height of Stack
-------	----------------------	--------------	----------	----------------	-----------------

#### Emission Quality Standards

S No.	Stack no	Parameters	Standards
-------	----------	------------	-----------

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately

(ii) The unit will not use any type of restricted fuel.

iii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time
	75	70	65	55	55	45	50	40

### 4. Essential documents to be submitted by the Industry/Unit as Applicable :-

(i) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.

(ii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.

5. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.

6. Unit has to comply with the following specific & general conditions. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and

Transboundary Movement) Rules, 2016 will result in legal action under the aforesaid Acts and Rules.

7. In compliance to the G.O 1011/81-7-2021-09 (Writ)/2016 dated.13.10.2021 issued by Department of Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh. You are directed to develop Miyawaki Forest as per the SOP available at URL:-<http://www.upecp.in/TrainingSession.aspx> for ensuring timely compliance of this direction, you are hereby directed to submit a bank guarantee with minimum validity of one year of the amount equivalent to the sum of initial consent fees (Air and Water) or Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only) whichever is more, within 30 days from the date of issuance of this certificate. In case of non-compliance of this direction, your consent will be revoked by the Board.

8. If the unit uses the ground water and requires the permission from SGWA/CGWA for water abstraction then the industry will have to obtain No objection certificate for abstraction of ground water. It will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the NOC obtained from the competent authority and submit to the Board, within 3 months time failing which CTO will be revoked.

#### **General Conditions:-**

1. The applicant shall get analysed the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated Industrial waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP/ETP inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control systems.
7. The industry shall provide Inspection Book at the time of inspection to the Board's officials.
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point
12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.

#### **Specific Conditions:-**

1. Unit shall submit NOC for abstraction of ground water from UPGWD.
2. MSW waste should be suitable segregated. A separate and isolated MSW collection center should be provided.

3. Unit shall comply Hazardous rule 2016 and Solid waste rule 2016 as amended.
4. Unit shall comply green belt the guidelines issued vide Board office order no. H10405/220/2018/02 Dt. 16-02-2018.
5. Unit shall comply Plastic waste management rule 2016 as amended.
6. Unit shall comply directions issued by Hon'ble NGT/High court/Supreme Court/CPCB/UPPCB/ CAQM from time to time.
7. Unit has submit balalce sheet for fee verification.

Copy to:

CEO-1, UPPCB, LUCKNOW

**Ankit Singh**  
Digitally signed  
by Ankit Singh  
Date:  
2025.05.30  
18:41:07  
+05'30'  
**REGIONAL OFFICER, GHAZIABAD**

**Ankit Singh**  
Digitally signed  
by Ankit Singh  
Date:  
2025.05.30  
18:41:22 +05'30'  
**REGIONAL OFFICER, GHAZIABAD**



**मिशन LIFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली**  
(Lifestyle For Environment)  
**जनसहभागिता का सन्देश**



- स्वच्छता – देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- संकल्प लें -एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय |
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन ठोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत उत्पन्न कर सकता है | वेस्ट /अपशिष्ट फेकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेकने से रुकें | इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई – वेस्ट रीसाइकलर को दें | प्राधिकृत ई-रीसाइक्लिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाते समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- घरेलू स्तर पर कम से कम ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका प्रथाक्रीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है | वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रैफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कूटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं | उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें | स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

**हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है |**



क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad  
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : ...1017.../सी/पी-405/2025

दिनांक ...08/08/2025

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

**विषय:** M/s Party Shine, Village-Sikandapur, Opp. Hindon Civil Airport, GHAZIABAD के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 16.08.2024 को रिवोक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 2407/सी/पी-405/2024 दिनांक 23.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था कि इकाई का निरीक्षण पूर्व में दिनांक 23.01.2025 को किया गया था। निरीक्षण के समय स्थल पर रिक्त भूमि पायी गयी तथा उक्त इकाई के नाम से उक्त स्थल पर वर्तमान में कोई बैंकट हॉल/मैरिज हॉल/मैरिज लाउन विद्यमान नहीं है। निरीक्षण के दौरान आस-पास के निवासियों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकी।

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इकाई के विरुद्ध पूर्व में जारी बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच-21738/सी-1/सा०-1652/2024 दिनांक 26.12.2024 के माध्यम से जारी कारण बताओ नोटिस को निस्तारित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय

*Subat S*  
क्षेत्रीय अधिकारी

*9c lampu*

M/s Party Shine, Village-Sikandapur, Opp. Hindon Civil Airport, GHAZIABAD के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 16.08.2024 को रिवोक किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 2407/सी/पी-405/2024 दिनांक 23.01.2025 के माध्यम से आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी थी, जिसमे अवगत कराया गया था कि इकाई का निरीक्षण पूर्व मे दिनांक 23.01.2025 को किया गया था। निरीक्षण के समय स्थल पर रिक्त भूमि पायी गयी तथा उक्त इकाई के नाम से उक्त स्थल पर वर्तमान मे कोई बैंकट हॉल/मैरिज हॉल/मैरिज लाउन विद्यमान नही है। निरीक्षण के दौरान आस-पास के निवासियों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नही करायी जा सकी। इकाई का नवीनतम निरीक्षण दिनांक 04.09.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर वर्तमान मे कोई बैंकट हॉल/मैरिज हॉल/मैरिज लाउन विद्यमान नही है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इकाई के विरुद्ध पूर्व मे जारी बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच-21738/सी-1/सा0-1652/2024 दिनांक 26.12.2024 के माध्यम से जारी कारण बताओ नोटिस को निस्तारित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

क्षेत्रीय अधिकारी



(विपुल कुमार)

सहायक पर्यावरण अभियंता



संदर्भ संख्या : ...../सी/एच-260/2025

दिनांक 08/09/2025

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

**विषय: M/s Swaad-E-Punjab, Plot No-7 Sector-5, Rajendra Nagar, GHAZIABAD के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 17.01.2025 को रिवोक किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त विषयक इकाई का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 04.09.2025 को किया गया था। निरीक्षण के समय स्थल पर रिक्त भूमि पायी गयी तथा उक्त इकाई के नाम से उक्त स्थल पर वर्तमान में कोई बैंकट हॉल/मैरिज हॉल/मैरिज लाउन विद्यमान नहीं है। निरीक्षण के दौरान उक्त स्थल खाली पाया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इकाई के विरुद्ध पूर्व में जारी बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच-22897/सी-1/एनजीटी-288/का०बा०नो०/2025 दिनांक 17.01.2025 के माध्यम से जारी कारण बताओ नोटिस को निस्तारित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

*[Handwritten Signature]*  
क्षेत्रीय अधिकारी

*[Handwritten Signature]*

M/s Swaad-E-Punjab, Plot No-7 Sector-5, Rajendra Nagar, GHAZIABAD के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 17.01.2025 को रिवोक किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक इकाई का निरीक्षण दिनांक 04.09.2025 को किया गया था। निरीक्षण के समय स्थल पर रिक्त भूमि पायी गयी तथा उक्त इकाई के नाम से उक्त स्थल पर वर्तमान में कोई बैंकट हॉल/मैरिज हॉल/मैरिज लाउन विद्यमान नहीं है। निरीक्षण के दौरान उक्त स्थल खाली पाया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इकाई के विरुद्ध पूर्व में जारी बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच-22897/सी-1/एनजीटी-288/का0बा0नो0/2025 दिनांक 17.01.2025 के माध्यम से जारी कारण बताओ नोटिस को निस्तारित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


क्षेत्रीय अधिकारी


*Subal S.*

*vipl*  
(विपुल कुमार)  
सहायक पर्यावरण अभियंता

**M/s Clarks Inn Apple Tree, C-2, Raj Nagar District Centre, Ghaziabad-201001 की निरीक्षण आख्या।**

उपरोक्त विषयक इकाई का निरीक्षण दिनांक 04.09.2025 को किया गया था। निरीक्षण के समय स्थल पर बिल्डिंग खाली पायी गयी तथा उक्त इकाई के नाम से उक्त स्थल पर वर्तमान में कोई हॉटल विद्यमान नहीं है। निरीक्षण के दौरान उक्त स्थल खाली पाया गया।

  
क्षेत्रीय अधिकारी

  
(विपुल कुमार)  
सहायक पर्यावरण अभियंता

# ANNEXURE-5

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



E  
or  
ent

पत्रांक 27220 / सी-1/सा0-1608/बंदी निक्षेप/2025  
सेवा में,

पंजीकृत  
दिनांक 22-4-25

M/s Gokul Dham,  
Khasra No. 162/3, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport,  
Ghaziabad सा0-9210717123

**विषय :** इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अंतर्गत जारी बन्दी आदेश दिनांक 08.01.2025 को निस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-एच22404/सी-1/सा0-1608/बन्दी/2024, दिनांक 08.01.2025 द्वारा M/s Gokul Dham, Khasra No. 162/3, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अंतर्गत जारी बन्दी आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रेषित प्रतिउत्तर दिनांक 08.03.2025, 27.03.2025 एवं शपथ पत्र दिनांक 26.03.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 11.03.2025 को इकाई प्रतिनिधि श्री सतीश कुमार, मालिक की उपस्थिति में किया गया है। निरीक्षण आख्यानुसार इकाई बन्दी आदेश के अनुपालन में बन्द पायी गयी। इकाई में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं अस्थायी किचन हेतु किया जाता है। इकाई द्वारा प्रेषित शपथ पत्र के अनुसार इकाई में प्रतिदिन 5 केएलडी से भी कम पानी का उपयोग किया जाता है तथा इकाई में ओजीटी ऑयल गैस ट्रेप स्थापित कराने एवं प्रदूषण सहमति प्राप्त करने के बाद ही इकाई का संचालन किया जायेगा। इकाई के विरुद्ध बोर्ड के पत्र दिनांक 08.01.2025 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 2,18,750/- को राज्य बोर्ड के खाते में आनलाइन पोर्टल पर जमा कर दिया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा पत्रांक-2732/जी-430/2025, दिनांक 18.03.2025 के माध्यम से प्रेषित आख्या में उद्योग के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश दिनांक 08.01.2025 को शर्त निस्तारित किये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः उपरोक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 18.03.2025 के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त M/s Gokul Dham, Khasra No. 162/3, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अंतर्गत जारी बन्दी आदेश दिनांक 08.01.2025 को सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त निम्न शर्तों के अधीन निक्षेप किया जाता है:-

1. इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से शर्त सहमति (जल/वायु) प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये।
2. इकाई द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-294/2023 प्रसून पन्त एवं अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. इकाई द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का सुचारु संचालन एवं रख-रखाव उचित प्रकार से सुनिश्चित किया जाये।
4. इकाई द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक 26.03.2025 में वर्णित तथ्यों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/मा0 एन0जी0टी0/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/सी0ए0क्यू0एम0 द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का इकाई द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

**सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत।**

भवदीय,

ak मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रमारी), वृत्त-1

**प्रतिलिपि :** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन हेतु।
3. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, गाजियाबाद।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

ak मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रमारी), वृत्त-1

टी.सी.-12वी., विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल-info@uppcb.com  
वेबसाइट-www.uppcb.up.gov.in

T.C.-12V., Vibhuti Khand,  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
E-mail: info@uppcb.com  
Web Site: www.uppcb.up.gov.in





# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पंजीकृत

दिनांक 14/08/25

पत्रांक : H31540 / सी-1/सा0-1588/बन्दी-निक्षेप/2025

सेवा में,

मै0 पालकी फार्मर्स,  
खसरा-317, ग्राम-सिकन्दरपुर, हिण्डन एयरपोर्ट के पीछे,  
गाजियाबाद। 9818239945

**विषय :** उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अंतर्गत जारी बन्दी आदेश दिनांक-08.01.2025 को सशर्त निस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच22400/सी-1/सा0-1588/बन्दी/2024, दिनांक-08.01.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से बोर्ड द्वारा मै0 पालकी फार्मर्स, खसरा-317, ग्राम-सिकन्दरपुर, हिण्डन एयरपोर्ट के पीछे, गाजियाबाद के विरुद्ध रूपया-2,18,750/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अंतर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त के अनुपालन में इकाई द्वारा दिनांक 03.02.2025 के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रेषित किया गया। इकाई से प्राप्त प्रत्यावेदन के अनुक्रम में इकाई का निरीक्षण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-05.03.2025 एवं 08.07.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई बन्द पायी गयी। इकाई बैंकट हॉल है, जिसकी क्षमता 400 व्यक्तियों की है। इकाई में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन तथा किचन में किया जाता है तथा जनित उत्प्लावक का निस्तारण हेतु 05 के0एल0डी0 ईटीपी कम एसटीपी प्लाण्ट स्थापित किया गया है जिसकी इकाईयों स्क्रीन चैम्बर, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रैप, फ्लेक्शन टैंक/इक्वालाइजेशन टैंक, प्लेस मिक्सिंग टैंक, एम0बी0वी0आर0 टैंक, ट्यूब सेटलर, सेकेण्ड्री क्लेरीफायर, डी0एम0एफ0, ए0सी0एफ0 एवम् एस0डी0बी0 है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा पत्र दिनांक-08.01.2025 के माध्यम से बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपया-2,18,750/- को बोर्ड खाते में दिनांक 23.02.2025 को जमा किया जाना सूचित है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश दिनांक-08.01.2025 को सशर्त निक्षेपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद से प्राप्त आख्या/संस्तुति दिनांक-16.07.2025 के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त मै0 पालकी फार्मर्स, खसरा-317, ग्राम-सिकन्दरपुर, हिण्डन एयरपोर्ट के पीछे, गाजियाबाद के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अंतर्गत जारी बन्दी आदेश दिनांक-08.01.2025 को सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त निम्न शर्तों के अधीन निस्तारित किया जाता है :-

1. इकाई द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-294/2023 प्रसून पन्त एवं अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
2. इकाई के संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति जल एवम् वायु प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
3. इकाई द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का सुचारु संचालन एवं रख-रखाव उचित प्रकार से सुनिश्चित किया जाये।
4. इकाई द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/मा0 एन0जी0टी0/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/सी0ए0क्यू0एम0 द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का इकाई द्वारा अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

**सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत।**

भवदीय,

Digitally signed by  
ANAND KUMAR ANAND

दिनांक-13-08-2025, वृत्त-1  
16:57:31

**प्रतिलिपि :** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन हेतु।
3. महाप्रबन्धक जल संस्थान, गाजियाबाद।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

**मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रभारी), वृत्त-1**



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पंजीकृत

पत्रांक : H-29187 / सी-1 / सा0-1585 / बन्दी-निक्षेप / 2025

दिनांक 13-06-25

सेवा में,

मै0 लोटस फॉर्म्स,  
ग्राम-सिकन्दरपुर, निकट हिण्डन एयरपोर्ट,  
गाजियाबाद।  
मॉ. नं- 7902480967

विषय : उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अंतर्गत जारी बन्दी आदेश दिनांक-08.01.2025 को सशर्त निस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच22406/सी-1/सा0-1585/बन्दी/2024, दिनांक-08.01.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से बोर्ड द्वारा मै0 लोटस फॉर्म्स, ग्राम-सिकन्दरपुर, निकट हिण्डन एयरपोर्ट, गाजियाबाद के विरुद्ध रूपया-2,18,750/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अंतर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त के अनुपालन में इकाई द्वारा दिनांक-25.02.2025 के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रेषित किया गया। इकाई से प्राप्त प्रत्यावेदन के अनुक्रम में इकाई का निरीक्षण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-02.06.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई बन्द पायी गयी। इकाई में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन तथा किचन में किया जाता है तथा जनित उत्प्रवाह का निस्तारण हेतु 05 के0एल0डी0 ईटीपी कम एसटीपी प्लाण्ट स्थापित किया गया है जिसकी इकाईयों स्कीन चैम्बर, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रैप, कलेक्शन टैंक/इक्वालाइजेशन टैंक, प्लेस मिक्सिंग टैंक, एम0वी0वी0आर0 टैंक, ट्यूब सेटलर, सेकेण्ट्री क्लेरीफायर, डी0एम0एफ0, ए0सी0एफ0 एवम् एस0डी0वी0 है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा पत्र दिनांक-04.06.2025 के माध्यम से बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपया-2,18,750/- को बोर्ड खाते में जमा किया जाना सूचित है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा इकाई के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश दिनांक-08.01.2025 को सशर्त निक्षेपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद से प्राप्त आख्या/संस्तुति दिनांक-04.06.2025 के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त मै0 लोटस फॉर्म्स, ग्राम-सिकन्दरपुर, निकट हिण्डन एयरपोर्ट, गाजियाबाद के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अंतर्गत जारी बन्दी आदेश दिनांक-08.01.2025 को सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त निम्न शर्तों के अधीन निस्तारित किया जाता है :-

- इकाई द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-294/2023 प्रसून पन्त एवं अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- इकाई के संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति जल एवम् वायु प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
- इकाई द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का सुचारु संचालन एवं रख-रखाव उचित प्रकार से सुनिश्चित किया जाये।
- इकाई द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/मा0 एन0जी0टी0/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/सी0ए0क्यू0एम0 द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का इकाई द्वारा अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत।

भवदीय,

Digitally signed by  
ANAND KUMAR ANAND  
Date: 13-06-2025

*AK* मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रभारी), वृत्त-1

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या ससमय बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

*AK* मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रभारी), वृत्त-1

टी.सी.-12वी., विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल-[info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)  
वेबसाइट- [www.uppcb.up.gov.in](http://www.uppcb.up.gov.in)

T.C.-12V., Vibhuti Khand,  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
E-mail: [info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)  
Web Site: [www.uppcb.up.gov.in](http://www.uppcb.up.gov.in)



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पत्रांक: 127427 / सी-1 / सा0-1597 / बंदी निक्षेप / 2025  
सेवा में,

पंजीकृत  
दिनांक 22-1-25

M/s Spice Garden Restaurant & Banquet Hall,  
V.S. Food Opp. Police Station, Uppar Bazar,  
Near Railway Road, Modinagar,  
Ghaziabad मो. नं. 9515733066

**विषय :** इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अंतर्गत जारी बन्दी आदेश दिनांक 08.01.2025 को निस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-एच22405/सी-1/सा0-1597/बन्दी/2024, दिनांक 08.01.2025 द्वारा M/s Spice Garden Restaurant & Banquet Hall, V.S. Food Opp. Police Station, Uppar Bazar, Near Railway Road, Modinagar, Ghaziabad के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अंतर्गत जारी बन्दी आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रेषित प्रतिउत्तर दिनांक 22.01.2025 एवं 06.02.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 13.02.2025 को किया गया है। निरीक्षण आख्यानानुसार इकाई बन्दी आदेश के अनुपालन में बन्द पायी गयी। इकाई में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं प्रक्रिया में किया जाता है तथा जनित उत्प्रवाह का निस्तारण पब्लिक सीवर लाइन में किया जाता है। किचन से जनित उत्प्रवाह हेतु इकाई में ऑयल एण्ड ग्रीस की स्थापना की गयी है, ऑयल एण्ड ग्रीस के पश्चात् उत्प्रवाह को पब्लिक सीवर लाइन के माध्यम से कॉमन एस0टी0पी0 में निस्तारित किये जाने का प्राविधान है। इकाई के विरुद्ध बोर्ड के पत्र दिनांक 08.01.2025 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 2,03,125/- को राज्य बोर्ड के आनलाइन खाते में जमा कर दिया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा पत्रांक-2510/एस-1443/2025, दिनांक 14.02.2025 के माध्यम से प्रेषित आख्या में उद्योग के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश दिनांक 08.01.2025 को सशर्त निस्तारित किये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः उपरोक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 14.02.2025 के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त M/s Spice Garden Restaurant & Banquet Hall, V.S. Food Opp. Police Station, Uppar Bazar, Near Railway Road, Modinagar, Ghaziabad के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अंतर्गत जारी बन्दी आदेश दिनांक 08.01.2025 को सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त निम्न शर्तों के अधीन निक्षेप किया जाता है:-

1. इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से सशर्त सहमति (जल/वायु) प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये।
2. इकाई द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-294/2023 प्रसून पन्त एवं अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. इकाई द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का सुचारु संचालन एवं रख-रखाव उचित प्रकार से सुनिश्चित किया जाये।
4. ई0टी0पी0 आउटलेट की राज्य बोर्ड की प्रयोगशाला से भुगतान पद्धति के आधार पर विश्लेषण कराकर आख्या राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
5. मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/मा0 एन0जी0टी0/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/सी0ए0क्यू0एम0 द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का इकाई द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

**सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत।**

भवदीय,

*[Signature]*  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रभारी), वृत्त-1

**प्रतिलिपि :** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन हेतु।
3. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, गाजियाबाद।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

*[Signature]*  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रभारी), वृत्त-1

टी.सी.-12वी., विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल-info@uppcb.com  
वेबसाइट- www.uppcb.up.gov.in

T.C.-12V., Vibhuti Khand,  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
E-mail: info@uppcb.com  
Web Site: www.uppcb.up.gov.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पत्रांक : 426567 / सी-1 / सा0-1635 / बंदी निक्षेप / 2025

पंजीकृत  
दिनांक 03/09/25

सेवा में,

M/s Signature Farms,  
Khasra No.-122/293, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport,  
Ghaziabad

विषय : इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अंतर्गत जारी बन्दी आदेश दिनांक 16.01.2025 को निस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-एच22776 / सी-1 / सा0-1635 / बन्दी / 2024, दिनांक 16.01.2025 द्वारा M/s Signature Farms, Khasra No.-122/293, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अंतर्गत जारी बन्दी आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रेषित प्रतिउत्तर दिनांक 03.03.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 08.03.2025 को किया गया है। निरीक्षण आख्यानानुसार इकाई बन्दी आदेश के अनुपालन में बन्द पायी गयी। इकाई में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं प्रक्रिया में किया जाता है तथा जनित उत्प्लावक का निस्तारण 10 के0एल0डी0 एम0बी0बी0आर0 टैक्नोलॉजी पर आधारित ई0टी0पी0 स्थापित किया गया है, जिसकी इकाईयां बार स्क्रीन, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रैप, कलेक्शन टैंक/इक्वालाइजेशन टैंक, एम0बी0बी0आर0 टैंक-1 एवं 2, ट्यूब सेटलर, डी0एम0एफ0 एस0डी0बी0 है। इकाई के विरुद्ध बोर्ड के पत्र दिनांक 16.01.2025 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 2,42,172/- को आनलाइन पोर्टल पर दिनांक 22.02.2025 को राज्य बोर्ड के खाते में जमा कर दिया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा पत्रांक-2709/एस-1453/2025, दिनांक 10.03.2025 के माध्यम से प्रेषित आख्या में उद्योग के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश दिनांक 16.01.2025 को सशर्त निस्तारित किये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः उपरोक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 10.03.2025 के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त M/s Signature Farms, Khasra No.-122/293, Village-Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अंतर्गत जारी बन्दी आदेश दिनांक 16.01.2025 को सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त निम्न शर्तों के अधीन निक्षेप किया जाता है:-

1. इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से सशर्त सहमति (जल/वायु) प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये।
2. इकाई द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-294/2023 प्रसून पन्त एवं अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. इकाई द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का सुचारु संचालन एवं रख-रखाव उचित प्रकार से सुनिश्चित किया जाये।
4. ई0टी0पी0 आउटलेट की राज्य बोर्ड की प्रयोगशाला से भुगतान पद्धति के आधार पर विश्लेषण कराकर आख्या राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
5. मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/मा0 एन0जी0टी0/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/सी0ए0क्यू0एम0 द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का इकाई द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, गाजियाबाद को विद्युत संयोजन हेतु।
3. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, गाजियाबाद।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

टी.सी.-12वी., विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल-[info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)  
वेबसाइट- [www.uppcb.up.gov.in](http://www.uppcb.up.gov.in)

T.C.-12V., Vibhuti Khand,  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
E-mail: [info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)  
Web Site: [www.uppcb.up.gov.in](http://www.uppcb.up.gov.in)



1647

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पत्रांक

सेवा में

मैसर्स आदित्य मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन (रजि०),  
बी०एफ०-36, आदित्य मॉल इन्द्रापुरम्, गाजियाबाद  
{पूर्व नाम आदित्य मेगा सिटी (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि०),  
सी०जी०एच०-03, वैभव खण्ड, इन्द्रापुरम्, गाजियाबाद}  
9311155166

दिनांक

विषय: उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अंतर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 16.08.2024 को सशर्त निस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-एच००2399/सी-1/वायु/जी-724/का०ब०नो०/2023, दिनांक 27.10.2023 द्वारा मैसर्स आदित्या मेगा सिटी (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि०), प्लॉट नं०-सी०जी०एच०-3, वैभव खण्ड, इन्द्रापुरम्, गाजियाबाद के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। मैसर्स आदित्य मॉल एसोसिएशन (रजि०) द्वारा पूर्व सहमति दिनांक 29.08.2011 में उल्लिखित स्थल आदित्य मेगा सिटी (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि०), सी०जी०एच०-3, वैभव खण्ड, इन्द्रापुरम्, गाजियाबाद के संचालन हेतु आनलाइन नवीनतम सहमति जल/वायु आवेदन दिनांक 07.12.2023 को किया गया, जिसे कारण बताओ नोटिस दिनांक 27.10.2023 प्रभावी होने के कारण दिनांक 28.12.2023 को अस्वीकृत किया गया। सहमति जल/वायु आवेदन दिनांक 07.12.2023 को अस्वीकृत किये जाने के दृष्टिगत मैसर्स आदित्या मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन (रजि०) द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट सी संख्या-4918/2024 आदित्य मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० योजित किया गया, जिसमें पारित आदेश दिनांक 30.05.2024 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

".....3- Be that as it may, considering that now the show cause notice has been provided to the petitioner's counsel, let him respond to the same within fifteen days whereupon afresh decision shall be taken by the competent authority in terms of relevant provisions of law at the earliest say within fifteen days thereafter. The impugned order is set aside with liberty to the opposite parties to pass fresh order as aforesaid....."

उक्त आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा पत्रांक-1054/सी/ए-473/2024, दिनांक 06.08.2024 के माध्यम से संदर्भित इकाई को जारी कारण बताओ नोटिस में परियोजना विकासकर्ता मैसर्स आदित्य मेगा सिटी (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि०), सी०जी०एच०-3, वैभव खण्ड, इन्द्रापुरम्, गाजियाबाद के स्थान पर मैसर्स आदित्य मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन (रजि०), बी०एफ०-36 आदित्य मॉल, इन्द्रापुरम्, गाजियाबाद {पूर्व नाम आदित्या मेगा सिटी (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि०), सी०जी०एच०-03, वैभव खण्ड, इन्द्रापुरम्, गाजियाबाद} को सम्बोधित करते हुए संशोधित कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने संबंधी आख्या प्रेषित किया गया, जिसके अनुक्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-एच०15817/सी-1/वायु/जी-724/का०ब०नो०/2024, दिनांक 16.08.2024 द्वारा उद्योग मैसर्स आदित्य मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन (रजि०), बी०एफ०-36, आदित्य मॉल इन्द्रापुरम्, गाजियाबाद {पूर्वनाम-आदित्य मेगा सिटी (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि०), सी०जी०एच०-03, वैभव खण्ड, इन्द्रापुरम्, गाजियाबाद} के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अंतर्गत संशोधित कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

इकाई से प्राप्त प्रत्यावेदन दिनांक 08.10.2024 के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 09.10.2024 को इकाई प्रतिनिधि श्री विजय शर्मा, प्रबन्धक, आदित्य मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार इकाई आदित्य सिटी सेन्टर, सी०जी०एम०-03, वैभव खण्ड, इन्द्रापुरम्, गाजियाबाद एक कामर्शियल काम्प्लेक्स है, जिसमें विभिन्न प्रकार की दुकाने, रेस्टोरेन्ट, मल्टीप्लेक्स मूवी हॉल स्थित है। इकाई का रख-रखाव/मेन्टीनेन्स का कार्य वर्तमान में मैसर्स आदित्य मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन (रजि०), बी०एफ०-36, आदित्य मॉल इन्द्रापुरम्, गाजियाबाद द्वारा किया जा रहा है। इकाई में विद्युत आपूर्ति भंग होने की दशा में वैकल्पिक श्रोत के रूप में 02 डी०जी० सेट क्षमता 1500 के०वी०ए० व 500 के०वी०ए० स्थापित है, जिससे सम्बद्ध चिमनी की ऊँचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप है। उक्त दोनों डी०जी० सेट में ईंधन के रूप में डीजल व पी०एन०जी० का प्रयोग किया जाता है। इकाई से जनित सीवेज का निस्तारण पब्लिक सीवर लाइन के माध्यम से इन्द्रापुरम् स्थित कॉमन एस०टी०पी० के माध्यम से किया जाता है। क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा पत्रांक-1785/सी/ए-473/2024, दिनांक 22.10.2024 एवं पत्रांक-11/सी/ए-473/2024, दिनांक 07.04.2025 के माध्यम से प्रेषित आख्याओं में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच द्वारा रिट सी० संख्या-4918/2024 आदित्य मॉल ट्रेडर्स

.....2/

टी.सी.-12वी., विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल-[info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)  
वेबसाइट- [www.uppcb.up.gov.in](http://www.uppcb.up.gov.in)

T.C.-12V., Vibhuti Khand,  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
E-mail: [info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)  
Web Site: [www.uppcb.up.gov.in](http://www.uppcb.up.gov.in)

एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2024 एव इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के क्रम में सदमित परियोजना के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस में वर्णित रू0 2,85,31,250/- (रूपया दो करोड़ पच्चासी लाख इककतीस हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एव कारण बताओ नोटिस दिनांक 16.08.2024 को सशर्त निक्षेपित किये जाने की सस्तुति की गई है।

अत उपरोक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या/सस्तुति दिनांक 22.10.2024 एव 07.04.2025 के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त मैसर्स आदित्य मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन (रजि0), वी0एफ0-36, आदित्य मॉल इन्द्रापुरम, गाजियाबाद {पूर्व नाम आदित्य मेगा सिटी (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि0), सी0जी0एच0-03, वैभव खण्ड, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद; के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अतर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 27.10.2023 (सशोधित कारण बताओ नोटिस दिनांक 16.08.2024) को सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमोदनापरान्त निम्न शर्तों के अधीन निस्तारित किया जाता है:-

1. इकाई द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित की जाने वाली पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को निर्धारित समयावधि में जमा किया जाये।
2. इकाई द्वारा नियमानुसार संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त की जाये।
3. इकाई द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या-294/2023 प्रसून पन्त बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. इकाई द्वारा जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का संचालन एवं रख-रखाव उचित प्रकार से सुनिश्चित किया जाये।
5. मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/मा0 एन0जी0टी0/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/सी0ए0क्यू0एम0 द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का इकाई द्वारा अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

उक्त के अतिरिक्त मैसर्स आदित्य मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन (रजि0), वी0एफ0-36, आदित्य मॉल इन्द्रापुरम, गाजियाबाद {पूर्व नाम आदित्य मेगा सिटी (अग्रवाल एसोसिएट्स प्रमोटर्स लि0), सी0जी0एच0-03, वैभव खण्ड, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद; के विरुद्ध रू0 2,85,31,250/- (रूपया दो करोड़ पच्चासी लाख इककतीस हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को बोर्ड के Dedicated Account जिसका payment gateway URL: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB> में कारण बताओ नोटिस के निस्तारण की तिथि से 01 माह के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। जमा की गई धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित करें। Payment Gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें:-

- |     |   |   |               |
|-----|---|---|---------------|
| (1) | Nature of Pollution/प्रदूषण की प्रकृति              | - | Air pollution |
| (2) | Regional Office/क्षेत्रीय कार्यालय                  | - | Ghaziabad     |
| (2) | EC imposed in compliance/अनुपालन में ईसी0 लगाया गया | - | UPPCB         |

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनापरान्त निर्गत।

भवदीय,  
Digitally signed by  
ANAND KUMAR ANAND  
Date: 09-07-2025

ole 1 मुख्य प्रदूषण अधिकारी(प्रभारी), वृत्त-1

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. लेखाधिकारी(प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को राज्य बोर्ड के खाते में जमा कराना सुनिश्चित करें।

ole मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रभारी), वृत्त-1

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 966/एनजीटी/ओए-294/2023/2025 दिनांक 28.08.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

1649

ANNEXURE-6

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वार गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Misc. Application in Disposed of Cases No-77/2025 In Original Application No-294/2023 Prason Pant & Anr. Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors. के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 12.09.25 को मैसर्स गोल्डन लीफ  
रेस्टोरेंट पार्सल हाट गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई  
प्रतिनिधि श्री रवि-प्रसाद की उपस्थिति में इकाई में वर्तमान के गृहारी को बंद  
करते हुये  
इकाई का संचालन बन्द कराया गया तथा सुपुर्दगी सम्बन्धित को सौंपी गयी।

कर लिया गया है उसके ध्यान पर बदलें एवं कार्पेट  
आदि वस्तुओं का विक्रय हेतु दुकान खोली गयी है  
वर्तमान में कार्पेट एवं फ्लोरिंग के नाम से संचालित  
है

12.09.25  
JE

JE

12/9/25  
M. Tehrildar

33/11KUS/SM.M

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 966/एनजीटी/ओए-294/2023/2025 दिनांक 28.08.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वार गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Misc. Application in Disposed of Cases No-77/2025 In Original Application No-294/2023 Prason Pant & Anr. Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors. के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 12.09.2025 को मैसर्स M/S New Name

Hotel Florish (old Name - Hotel Royal Mahal) का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई  
H.N-06 Naveen Park Sect.03. Ghaziabad

प्रतिनिधि श्री श्रीमती मणिनी झा की उपस्थिति में इकाई में ..... करते हुये  
अपराध विद्युत विच्छेदन कराया गया  
इकाई का संचालन बन्द कराया गया तथा सुपुर्दगी सम्बन्धित को सौंपी गयी।

12.09.25  
JE

JE

12/09/25  
M. Schilder

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 966/एनजीटी/ओए-294/2023/2025 दिनांक 28.08.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वार गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Misc. Application in Disposed of Cases No-77/2025 In Original Application No-294/2023 Prasoon Pant & Anr. Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors. के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 12.09.25 को मैसर्स क्रिज ग्रुप

का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री रविंद्र सिंह की उपस्थिति में इकाई में विद्युत बिच्छड़ियाँ पायी गयी इकाई का संचालन बन्द पाया गया तथा सुपुर्दगी सम्बन्धित को सौंपी गयी।

12.09.25  
JTB

SDO

M. Tehal/das

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 966/एनजीटी/ओए-294/2023/2025 दिनांक 28.08.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वार गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Misc. Application in Disposed of Cases No-77/2025 In Original Application No-294/2023 Prason Pant & Anr. Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors. के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 12.9.2025 को मैसर्स ए.टी.ए. एंटरप्राइज 192/1, Prokash, Raj Bugh metro station का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री श्री 8506029743 की उपस्थिति में इकाई में विद्युत बिन्दु का रिपेयर किया गया इकाई का संचालन बन्द कराया गया तथा समुदगी सम्बन्धित को सौंपी गयी।

12.09.25  
JR

SDD

N. Tehsildar

1653

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 966/एनजीटी/ओए-294/2023/2025 दिनांक 28.08.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वार गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Misc. Application in Disposed of Cases No-77/2025 In Original Application No-294/2023 Prason Pant & Anr. Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors. के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 12.09.25 को मैसर्स Metro garden  
x sidemly b.s.b., G.Road, Ghaziabad का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई  
प्रतिनिधि श्री बांही लाल शर्मा की उपस्थिति में इकाई में विद्युत विच्छेदन पाया गया करते हुये  
इकाई का संचालन बन्द पाया गया तथा सुपुर्दगी सम्बन्धित को सौंपी गयी।

12.09.25  
OE

  
S D O

  
N. Tehsildar

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 966/एनजीटी/ओए-294/2023/2025 दिनांक 28.08.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वार गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Misc. Application in Disposed of Cases No-77/2025 In Original Application No-294/2023 Prasoon Pant & Anr. Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors. के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 12.09.25 को मैसर्स TMF cafe

plot No-3, Sector-5, Regindha Nagar, Ghazipur का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई

प्रतिनिधि श्री मनीष चौहान की उपस्थिति में इकाई में विद्युत विच्छेदन किया गया करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया तथा सुपुर्दगी सम्बन्धित को सौंपी गयी।

12.09.25  
JE

SDO

12/9/25  
N. Tehsildar

आज दिनांक 12.09.2025 को Mrs Kothi food junctions  
Cafe Shop No 6158 Sector-2 रायचन्द्र नगर गांधीनगर,  
का जम्मा के लक्ष्य निरीक्षण किया गया बरदान के उम्मे  
द्वारा पर Tanderify नाम से रेकार्ड का लक्ष्य  
किया जा रहा है

आरक्ष्य सादर उपलब्ध है

S O  
Rajendra Nar.  
Gzlb

N. Tehsildar

12.09.25

जे

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 966/एनजीटी/ओए-294/2023/2025 दिनांक 28.08.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वार गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Misc. Application in Disposed of Cases No-77/2025 In Original Application No-294/2023 Prason Pant & Anr. Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors. के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 13.09.2025 को मैसर्स Balaji Enterprises

(Hotel Haveli, PalgCO) Plot No-22, Sector-03 का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई  
Vasundhara, Ghazipur

प्रतिनिधि श्री यु.ग.सि. की उपस्थिति पाये गये। इकाई का विद्युत कनेक्शन  
7291829105

~~विच्छेदित पाया गया~~ / विच्छेदित करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया।

13.09.25  
JE  
UPPCB

डा. निरंजन कुमार  
डा. निरंजन कुमार  
Line man UPPCL

डा. निरंजन  
H.C  
Indraprastha  
13/9/25  
H. Tehsildar

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 966/एनजीटी/ओए-294/2023/2025 दिनांक 28.08.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वार गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Misc. Application in Disposed of Cases No-77/2025 In Original Application No-294/2023 Prasoon Pant & Anr. Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors. के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 13.09.2025 को मैसर्स Great Research

service B Hoikah Bar, plot no- B-15 का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई  
3<sup>rd</sup> floor, RDC, Rajnagar Ghazniabad

प्रतिनिधि श्री श्री 5 909745 9511 की उपस्थिति पाये गये। इकाई का विधुत कनेक्शन

~~विच्छेदित~~ ~~प्राप्त~~ ~~मका~~ / विच्छेदित करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया।

13.09.2025  
JE

13  
Kuldeep  
JE

13/9/25  
N. Tehsildar

आज दिनांक 13.09.2025 को एचएल plot No-10 D sector-10  
 Vasundhara Ghaziabad का निरीक्षण किया गया निरीक्षण  
 के समय m/s Mangalam Banquet Hall एवाफिल हब  
 संचालित करी पाया उसके स्थान पर Royal Enfield  
 का गोदाप संचालित पाया गया भी यूपिनक (कैदी) जी  
 (7011169190)  
 (owner) द्वारा अबरार कराया गया कि उक्त Banquet Hall  
 लगभग 6 माह पहले हटा लिया गया है

13.09.25  
 JE  
 U/REB, Ghaziabad



PS  
 (H.E) Indrapuram.

13/9/25  
 Tehsil dar

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 966/एनजीटी/ओए-294/2023/2025 दिनांक 28.08.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वार गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Misc. Application in Disposed of Cases No-77/2025 In Original Application No-294/2023 Prason Pant & Anr. Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors. के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 13.09.2025 को मैसर्स साहन प्रूड सी-63, आर० सी० सी० राजनगर, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री अनिल शर्मा की उपस्थिति पाये गये। इकाई का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित पाया गया/विच्छेदित करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया।

13-09-2025  
J E  
UP PCB

13/9/25  
J E  
UPPER  
Kundalpur

13/9/25  
N. Tehsildar

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 966/एनजीटी/ओए-294/2023/2025 दिनांक 28.08.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वार गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Misc. Application in Disposed of Cases No-77/2025 In Original Application No-294/2023 Prason Pant & Anr. Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors. के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 15.09.2025 को मैसर्स Royal Enterprises

FF3, Plot No-04, Archana Apartment  
Navan Road, Bhopura, Ghazipur का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई

प्रतिनिधि श्री ..... की उपस्थिति पाये गये। इकाई का विद्युत कनेक्शन

~~विच्छेदित पाया गया~~ / विच्छेदित करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया।

15.09.25  
JE, UPRCB

15/09/2025  
JE, UPRCB

15/09/25  
M. Tehildar

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 966/एनजीटी/ओए-294/2023/2025 दिनांक 28.08.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वार गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Misc. Application in Disposed of Cases No-77/2025 In Original Application No-294/2023 Prason Pant & Anr. Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors. के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 14.09.2025 को मैसर्स Ashish Kr. Yadav

(Horn ok cat) H-73, Sec-12 का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई  
Pratap Wihar Ube 2500-4

प्रतिनिधि श्री आजाद की उपस्थिति पाये गये। इकाई का विद्युत कनेक्शन

विच्छेदित पाया गया / विच्छेदित करते हुये इकाई का संचालन बन्द कर दिया गया।

14.9.2025  
JE

Anshul  
14/9/25  
AEE, UPPCB

14/9/25  
N. Teksildar

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 966/एनजीटी/ओए-294/2023/2025 दिनांक 28.08.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वार गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Misc. Application in Disposed of Cases No-77/2025 In Original Application No-294/2023 Prasoon Pant & Anr. Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors. के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएं।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 15.09.2025 को मैसर्स Tandoori Chaska

Cold Name - Shresth Gandhi (Food Forest) J-65  
Sector-65 Block J Pratap Vihar Ghaziabad का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई

प्रतिनिधि श्री ..... की उपस्थिति पाये गये। इकाई का विद्युत कनेक्शन ~~विच्छेदित पाया गया~~/विच्छेदित करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया।

15.09.25  
JE, UPRCB

A. K. Singh  
JE, UPRCB  
15/09/2025

M. Tehildar  
15/09/2025



कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 966/एनजीटी/ओए-294/2023/2025 दिनांक 28.08.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वार गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Misc. Application in Disposed of Cases No-77/2025 In Original Application No-294/2023 Prason Pant & Anr. Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors. के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 14.09.2025 को मैसर्स <sup>Devyani International</sup> (RFC)

W/d (KEC Shop) No-GF-165FF4100 का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई  
Glt Plot No-06, Park Road, Sector 5, Ghaziabad

प्रतिनिधि श्री र. इ. ल. की उपस्थिति पाये गये। इकाई का विद्युत कनेक्शन

विच्छेदित पाया गया / विच्छेदित करते हुये इकाई का संचालन बन्द कराया गया। <sup>जब बंद पाया</sup>  
गया।

14.09.2025  
J E. U. P. C. B.

Amshul  
14/9/25  
A E E U P P C B

N. Tehsilidar

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 966/एनजीटी/ओए-294/2023/2025 दिनांक 28.08.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वार गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Misc. Application in Disposed of Cases No-77/2025 In Original Application No-294/2023 Prason Pant & Anr. Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors. के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 14.09.2025 को मैसर्स Romya Mangy

Enterprises Shop No-UGF-40, 41, Azamgarh, का निरीक्षण किया गया। मौके पर इकाई

प्रतिनिधि श्री ..... की उपस्थिति पाये गये। इकाई का विद्युत कनेक्शन

विच्छेदित पाया गया / विच्छेदित करते हुये इकाई का संचालन बन्द करवाया गया। मौके पर

उक्त रेकर्ड के अन्तर्गत/संचालित नहीं पाया गया (पूर्ण रूप से बंद पाया गया)

14.09.2025  
J.E., U.P.P.C.B.

14/9/25  
A.T.E., U.P.P.C.B.

14/9/25  
N. T. Choudhary



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद

Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

Website- www.uppcb.up.gov.in, e-mail: roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 1006 / एनजीटी / ओ०ए०-294 / 2023 / 2025

दिनांक 04.09.2025

**List Attached**

**विषय:** Consolidated Consent to Operate and Authorization hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981-reg.

उपरोक्त विषयक उक्त वर्णित अधिनियमों के प्राविधानों का संदर्भ ग्रहण करें। कार्यालय अभिलेखानुसार आपकी इकाई को राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु निर्गत की गयी है। इकाई को निर्गत सहमति जल/वायु आदेश में अधिरोपित शर्त संख्या 04 के अनुसार अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने की शर्त अधिरोपित की गयी है, जिसकी अनुपालन आख्या अभी तक इस कार्यालय में अप्राप्त है, जो कि उपरोक्त वर्णित अधिनियमों एवं सहमति आदेश की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सहमति जल/वायु आदेश में निहित शर्तों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के 01 सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उल्लंघन की दशा में इकाई के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित अधिनियमों के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत की गयी किसी भी कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई के पदाधिकारियों स्वयं का होगा।

Ankit Singh  
Digitally signed  
by Ankit Singh  
Date: 2025.09.04  
12:56:35 +05'30'

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Ankit Singh  
Digitally signed  
by Ankit Singh  
Date: 2025.09.04  
12:56:44 +05'30'

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-18, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4180108  
मुख्यालय : IC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 228010

Sr. No	Party Name	Complying Status	Remarks
1	M/s Elara Banquet Hall, INS-9, Sector-4, Vasundhara, Ghaziabad	Complying	CTO Granted
2	M/s Ram Vatika Community Center, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad- 201004	Complying	CTO Granted
3	Vanchu Hut, H-70, Ground Floor, Block-H, Shop No. 6 & 7, Pratap Vihar, Sector-12, Ghaziabad- 201012	Complying	CTO Granted
4	M/s Flock O Clock, Shop No. D27, Gaur Central Mall, Raj Nagar, Ghaziabad-201002	Complying	CTO Granted
5	M/s Shree Rathnam, Near Kaushambi Metro Station, Kaushambhi, Ghaziabad- 201012	Complying	CTO Granted
6	Shopprix Mall, Kaling Marg, Sector 5, Vaishali, Ghaziabad-201001	Complying	CTO Granted
7	M/s Garam Dharam, Plot No-1, Arthla, Mohan Nagar, Ghaziabad-201007	Complying	CTO Granted
8	M/s Hotel Grand Tushar, 178, bagh Bhtyari, Chudhary More, G.T. Road Near Railway Station, Ghaziabad-201001	Complying	CTO Granted
9	M/s The Walk Restaurant Bar & Hookah Bar, C-69, RDC, Rajnagar, Ghaziabad- 201002	Complying	CTO Granted
10	M/s Megatech Products Pvt. Ltd, D-3,4, and 5 Rajnagar, Ghaziabad. KF-7, Kavi Nagar, Ghaziabad-201001	Complying	CTO Granted
11	M/s Handi Restourant, R-1/77, RDC, Rajnagar, Ghaziabad-201002	Complying	CTO Granted
12	M/s Walk In The Woods Pvt. Ltd., Gour Height, Shop No-12,13,14, GF and LGF-1, Sec-4, Vaishali, Ghaziabad- 201019	Complying	CTO Granted
13	M/s Kinsfolk Hotel & Banquets Hall, Plot No-19, Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad- 201012	Complying	CTO Granted
14	M/s Radha Govind Vatika party Lower, Plot No. 10, Sector-10, Jain Mandir Road, Vasundhara, Ghaziabad - 201012	Complying	CTO Granted
15	M/s Welcome Om Green Fous, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad- 201004	Complying	CTO Granted
16	M/s Raj Farms, Khasra No. 293, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad- 201004	Complying	CTO Granted

Sr. No	Party Name	Complying Status	Remarks
17	M/s Royal farmhouse, Khasra No. 124/293, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad.	Complying	CTO Granted
18	M/s Signature Farms, Khasra No. 122/293, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad- 201004.	Complying	CTO Granted
19	M/s Gokul Dham, Khasra No. 162/3, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad- 201004.	Complying	CTO Granted
20	M/s Palki Farms, Khasra No317, Village Sikandarpur, Opp. Hindon Airport, Ghaziabad.- 201004	Complying	CTO Granted
21	M/s Lotus Farms, Sikandarpur, Bhopura, Near Hindon Domestic Airport, Ghaziabad- 201004.	Complying	CTO Granted
22	M/s Mahasja Shiknji & Restaurant, Delhi Meerut Road, Kadarabad Modinagar, Ghaziabad- 201204.	Complying	CTO Granted
23	M/s Spice Gardeen Restaurant & Benquet Hall, V.S. Food Opp. Police Station, Uppar Bazar, Near Railway Road, Modinagar, Ghaziabad - 201204	Complying	CTO Granted
24	M/s Khatu Shyam Restaurant (Manpango Pizza), M-35, Pratap Vihar, Sector 12, Ghaziabad- 201009	Complying	CTO Granted
25	Mahagun Metro Mall Gautam Palvi Road, Sector 3F, Vaishali, Ghaziabad, -201001 E-mail: info@mahagunindia.com	Complying	CTO Granted
26	Ansal Plaza Mall, Opposite Dabur Chowk, Vaishali, Ghaziabad Email: ahl@ansals.com	Complying	CTO Granted
27	Jaipuria Mall, Ahinsa Khand-1, Indirapuram, Ghaziabad. E-mail: info@jaipuriaigroup.com	Complying	CTO Granted
28	EDM Mall, Plot No. 1, Kaushambi, Ghaziabad, UP 201001, E-mail: info@eastdelhimall.com	Complying	CTO Granted
29	Silver Spoons, C7, Vasundhara, Sector 18, Vasundhara, Ghaziabad, UP 201012	Complying	CTO Granted
30	Golden Tulip, C-5, Sector 18, Vasundhara, Ghaziabad, UP 201012	Complying	CTO Granted
31	Vintage Banquets, CP-5, Sector 9, Vasundhara, 201012, Ghaziabad, UP, E-mail: info@vintagebanquets.com	Complying	CTO Granted

Sr. No	Party Name	Complying Status	Remarks
32	Galaxy Mall, 64/5, Site 4, Sahibabad Industrial Area, Ghaziabad-201001	Complying	CTO Granted
33	Hotel Crystal Palace, Plot Number 2163, Sector 16A, Vasundhara, Ghaziabad, UP 201012	Complying	CTO Granted
34	Mukut Regency Hotel, CC-1, Sector 13, Vasundhara, Ghaziabad, UP 201012. E-mail: info.hotelmukutregency@gmail.com	Complying	CTO Granted
35	Hotel RK Residency, Plot no 2159, Opp Awas Vikas Complex Sector 16, Vasundhara, Ghaziabad 201012, E-mail: contact@hotelrkresidency.in	Complying	CTO Granted
36	Eros Mall, 2nd Floor, Eros Market Place, Padmana Naidu Marg, Shakti Khand 2 (Opposite DPS), Indirapuram, Ghaziabad – 201014	Complying	CTO Granted
37	Clarks Inn, Plot No 41, Kaushambi, Ghaziabad 201010, E-mail: centralreservations@clarksinn.in	Complying	CTO Granted
38	The Vaishali Inn, 339A, Sector 4, Vaishali, Ghaziabad 201010	Complying	CTO Granted
39	Banana Tree Hotel, Plot No. 14, 2, Plot Alpha, Sahibabad Industrial Area Site 4, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201010, E-mail: Reservationbananatrehotel@yahoo.com	Complying	CTO Granted
40	Hotel Sunshine Park, Chander Nagar, Near Anand Vihar Railway Terminal Ramprastha Colony, Block D. Surya Nagar Delhi, D-1, Dr Bhabha Marg, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201011	Complying	CTO Granted
41	Hollywood Dreams Gaur Ganga 2, Sector 4, Vaishali, Ghaziabad 201010, E-mail: info@hollywooddreams.in	Complying	CTO Granted
42	Signature Global Mall, Sector 3, Vaishali, Ghaziabad – 201001 E-mail: info@signatureglobal.in	Complying	CTO Granted
43	OYO 11452 Golden Castle Lodge 11, KH No. 1/11, Indirapuram, Ne Khand I, Ghaziabad-201014	Complying	CTO Granted
44	OYO 1391 Hotel Pushpa Vilas, Plot No. 584, Near Pushpanjali Crosslay hospital, Sector 1, Vaishali, Ghaziabad-201010	Complying	CTO Granted
45	West View Hotel, 106, Modeltown, G.T. Road, Near Navrang Cinema, Model Town, Ghaziabad-201001	Complying	CTO Granted
46	Rousha INN, D-81, Kaushambi, Near metro station, Kaushambi, Ghaziabad-201010	Complying	CTO Granted
47	Le Crescent, Plot no-14a, Mall road, Near DPS school, Old building, Ahinsa khand-2, Indirapuram, Opposite Cloud 9, Ghaziabad- 201 014	Complying	CTO Granted

Sr. No	Party Name	Complying Status	Remarks
48	Rajpath Residency, D-31, Kaushambi, EDM Mall road, Opposite Anand vihar rail Station, Ghaziabad-201001	Complying	CTO Granted
49	Dr. Chef/Neha Sharma, MS-1, Sector-12, Pratap Vihar, Nagar Nigam Zone- II, Ghaziabad- 201001	Complying	CTO Granted
50	M/s Rajendra Club, K.K. Enterprises (Bandhan Banquet), Gole Park, Sector-3, Rajender Nagar, Sahibabad, Ghaziabad 201005	Complying	CTO Granted
51	M/s Wah Ji Wah (MS Foods), Plot No. 05, Naveen Park, Sahibabad, Ghaziabad-201005	Complying	CTO Granted
52	Sri Rohit Ahuja S/ Sri Vijay Ahuja M/s New Poul restaurant, 125 B/1A, Anand Industrial area, Mohan Nagar, Ghaziabad-201007	Complying	CTO Granted
53	M/s Mahipal Yaduvanshi Restaurant, Near A Block, Shivpuri, Ghaziabad Nagar Nigam, Zone-9, Ghaziabad-201009	Complying	CTO Granted
54	M/s Real Flavour UP (Dosa Factory) Plot No. 06, Main G.T. Road Sector-5, Rajendra Sahibabad, Ghaziabad- 201005	Complying	CTO Granted
55	M/s Ahuja Vaishno Bhojnalaya, Mohan Nagar, Ghaziabad-201007	Complying	CTO Granted
56	M/s Food Work Shop, C-84, RDC Raj Nagar, Ghaziabad- 201002	Complying	CTO Granted
57	M/s Urbon Punjab Foods Pvt. Ltd., Windsor Market, Shop No-29, Vaibhav Khand, Indirapuram, Ghaziabad- 201014	Complying	CTO Granted
58	M/s Angithi Dhaba, Arthla Mohan Nagar, Ghaziabad- 201007	Complying	CTO Granted
59	M/s Maa Ambey Foods, C-51, RDC, Rajnagar, Ghaziabad-201002	Complying	CTO Granted
60	M/s Anu Da Rendezvous, C-9697, RDC, Rajnagar, Ghaziabad -201002	Complying	CTO Granted
61	M/s Kamal Dhaba, Sector-16, Vasundhara, Ghaziabad- 201012	Complying	CTO Granted
62	M/s Rosellia Suites & Benquet Hall, Plot No.-Cp-04, Sec-11, Vasundhara, Ghaziabad- 201012.	Complying	CTO Granted
63	M/s Green Valley, Khasra No. 372, Green Velly Farm House, Sikandarpur, Ghaziabad- 201004	Complying	CTO Granted
64	M/s Friends Hospitality, 4th Floor, D-27, RDC Raj Nagar, Ghaziabad-201002	Complying	CTO Granted
65	M/s Pind Baliuchi (Unit of Excellence Hospitality) Shop No. 303, In panchsheel square at plot no C3, Crossing republic Village Dundahera, Ghaziabad-201016	Complying	CTO Granted
66	M/s Saleem Chicken, Pari Sadakpur, Delhi Sahasapur Road, Loni, Ghaziabad- 201102	Complying	CTO Granted

Sr. No	Party Name	Complying Status	Remarks
67	M/s SKY garden café & Restaurant, Shubh aarambh foods and caterers, First floor, MS- 20 and ms-23, sector-12, Mirzapur, Ghaziabad Nagar Nigam Zone-6, Ghaziabad-201009	Complying	CTO Granted
68	M/s S R Hotel Delhi Meerut Road Near Hanuman Mandir, Asalat Nagar, Muradnagar, Ghaziabad - 201006	Complying	CTO Granted
69	Hotel Golden Tulip C-5, Sector – 18, Vasundhara, Ghaziabad.	Complying	CTO Granted
70	M/s Silver Spoon C-7, Sector – 18, Ghaziabad	Complying	CTO Granted
71	Hotel R.K. Residency, 2159, opp. Awas Vikas Complex, Sector 16A, Vasundhara, Ghaziabad	Complying	CTO Granted
72	M/s Hollywood Dreams, Sector – 4, Vaishali, Ghaziabad	Complying	CTO Granted
73	M/s Hotel Banana Tree (ANGEL PROMOTERS PRIVATE LIMITED), 14/2 14/2A 14/18 14/19 And 14/19 Site-IV Sahibabad, GHAZIABAD.	Complying	CTO Granted
74	M/s Signature Global Mall (SARVPRIYA SECURITIES PVT LTD), Plot No. -6, Sector – 3, Vaishali, Ghaziabad	Complying	CTO Granted
75	Hotel Mukut Regency, CC-1, Sector – 13, Vasundhara, Ghaziabad	Complying	CTO Granted
76	Hotel Vintage Banquet, CP-5, Sector – 9, Vasundhara, Ghaziabad	Complying	CTO Granted
77	Galaxy Mall (MADHUVAN PROPERTIES PRIVATE LIMITED GALAXY MULTIPLEX AND SHOPPING MALL), 64/5, Site-4 Sahibabad, Ghaziabad.	Complying	CTO Granted
78	HOTEL SUNSHINE PARK (A UNIT ADITYARAJ FOODS AND ENTERTAINMENT PVT LTD), D-1, Chander Nagar Ghaziabad.	Complying	CTO Granted
79	MPS BUILDERS (CLARK INN GUEST HOUSE), 41, Kaushambi, Ghaziabad.	Complying	CTO Granted
80	VAISHALI HOTELS AND RESORTS, 339A, Sector – 4, Vaishali, Ghaziabad.	Complying	CTO Granted
81	CCPL DEVELOPERS PVT LTD (EDM MALL), plot-1, Kaushambi, Ghaziabad.	Complying	CTO Granted
82	Ansal Plaza, Sector-1, Vaishali, Ghaziabad.	Complying	CTO Granted
83	M/s Jaipuria Mall Ahinsa khand-1, Indirapuram, Ghaziabad.	Complying	CTO Granted
84	M/s Hotel Crystal Palace 2163, sector 16A, Vasundhara, Ghaziabad.	Complying	CTO Granted